रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़): (क) म्यांमार (बर्मा), पाकिस्तान, श्रीलंका, ताइवान, थाइलैंड, जापान और चीन में क्रमशः 48 कि०प्र०घं०, 125 कि०प्र०घं० 100 कि०प्र०घं०, 130 कि०प्र०घं०, 103 कि०प्र०घं०, 240 कि०प्र०घं०, 160 कि०प्र०घं०, की गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय गति की तुलना में भारत में गाड़ी की अधिकतम अनुमेय गति 140 कि०प्र०घं०, है।

(ख) वर्ग "क" मार्गों पर व्यवस्थित मौजूदा रेलपथ संरचना 160 कि०प्र०घं० तक की गति वहन करने में समर्थ है बशर्ते कि सिगनल प्रणालियां सशक्त बनाई जाएं। जापान की भांति गाड़ियों को उच्च गति पर चलाने के लिए पृथक समर्पित रेल लाइन की आवयकता होगी जो अत्यधिक पूंजी गहन होगा, जो फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

विभिन्न एशियाई देशों के रेल सुरक्षा परिदृश्य की तुलना करने के लिए मानकीकृत सूचना उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के जरिए भारतीय रेलों पर ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अपराध राज्य राज्य सरकार के क्षेत्र में आते हैं क्योंकि पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और रेलें इस बुराई पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों को अपेक्षित सहायता प्रदान करती है।

परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं जिनकी संख्या 1983-84 में 768 थी 1993-94 में कम होकर 520 रह गई है। दुर्घटनाओं के संबंध में प्राचल विभिन्न देशों में हमेशा समान नहीं होते और इसलिए संभवतः सर्वत्र लागू नहीं किए जा सकते।

(ग) गाड़ी सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। गाड़ी सेवाओं में सुधार करने के लिए किए गए/अथवा प्रस्तावित कुछ उपाय इस प्रकार हैं:—

(1) नई गाड़ियां चलाना, मौजूदा गाड़ियों के चालन क्षेत्र का विस्तार करना और गैर-दैनिक गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करना।

(2) गाड़ियों की गति बढ़ाना।

(3) दैनिक यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए उपनगरीय सेवाओं की संख्या में वृद्धि करना।

(4) गैर-विद्युतीकरण खंडों पर डीजल मल्टीपल यूनिट/डीजल कर्षित पुश पुल सेवाएं चलाना, गैर-उपनगरीय विद्युतीकृत खंडों पर मुख्य लाइन बिजली गाड़ियां चलाना और यातायात के कम घनत्व वाले मार्गों पर रेल बसें चलाना।

(5) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों और अन्य चुनिंदा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल 3-टियर शयनयान सवारी डिब्बों की व्यवस्था करना।

(6) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में चुनिंदा आधार पर विशेष किस्म के वातानुकूल 2-टियर सवारी डिब्बों (सरकने वाले दरवाजों सहित) की व्यवस्था करना।

Telephone services in superfast trains

2586. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that telephone services would be made available in the near furture in the superfast and Mail Trains in the country, in collaboration with foreign companies.

(b) if so, the details thereof; and

(c) which trains are likely to be covered in the initial stages?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) A pilot project is being undertaken to evaluate possibility through satellite communication.

(b) A memorandum of understanding has been signed by the Ministry of Communications with INMARSAT for conducting the pilot project for providing telephone communication services on fast trains. This pilot project will be conducted jointly by the Indian Railways, Videsh Sanchar Nigam Limited (VSNL) and the International Maritime Satellite Organisation (INMARSAT). Trials will be conducted with special satellite terminals to evaluate their suitability for communication from moving trains. The trials are proposed to be started as soon as the terminals are made available by INMARSAT, which are expected by June'95.

(c) The trials are proposed to be carried out on the New Delhi-Bombay Central Rajdhani Express and the Broad Guage 'Palace on Wheels' trains.